

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सी)

नाम श्रीमाधोपुर डेप्युटी
 किस्म मुकदमा पुत्रावली अर्थात् निषेध नं. 95 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय सयुहस्ताक्षर जज
12/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारिकेन इप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी वीरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मौटिंग में हैं। पत्रावली अर्थात् कार्यवाही हुक दिनांक 30/6/22 का प्रमाण हो।</p> <p><i>[Signature]</i> रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)</p>
4-8-22	<p>इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकलाय फारिकेन अनुपस्थित/पीठा. अधिकारी वीरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मौटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13-10-22 पेश हो। <i>[Signature]</i></p>
13.10.2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकील प्रार्थी एवं पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर</p>

